भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 255
दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ

स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के मुद्दे

255. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों, विशेषकर मंडल प्रजा परिषद (एमपीपी) और सरपंचों के आंध्र प्रदेश में अपनी शक्तियां खोने से संबंधित मुद्दों की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी कोई घटना सामने आई है कि स्थानीय निकायों में आवश्यक प्रस्तावों के बिना या स्थानीय प्रतिनिधियों को सूचित किए बिना विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं;

(ग) लोकतांत्रिक सिद्धांतों और पंचायती राज विनियमों के अनुसार स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के समुचित कामकाज और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान और स्थानीय प्रतिनिधियों की शक्तियों को बहाल करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कोई निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों कों, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल है, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तो के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। पंचायतों का कार्य-निष्पादन संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते है, की सीमा पर निर्भर करता है।

हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, सामान्य समीक्षा मिशनों आदि के माध्यम से पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण करता है। यह मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित

प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें। पंचायती राज मंत्रालय सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान के उपयोग के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल भी प्रदान करता है। पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रत्येक चरण में सिस्टम जनित वाउचर, जियो -टैगिंग और पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारियों के माध्यम से की जाती है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जहाँ स्थानीय निकायों में आवश्यक प्रस्तावों के बिना या स्थानीय प्रतिनिधियों को सूचित किए बिना विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं| इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय में भी ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गई है |

****